रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/94.

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 अक्तूबर, 1994/4 कार्तिक, 1916

### हिमाचल प्रदेश सरकार

### PERSONNEL (A.I.) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 14th October, 1994*

**No. 3-1/75-Karmik (Ni-I).**—The Governor, Himachal Pradesh, in continuation of this Department's notification of even number dated 24th September, 1994, is pleased to detain Shri B. S. Dehal, District Revenue Officer, Mandi on temporary duty to Kullu during Kullu Dussehra Festival with effect from 14th October, 1994 to 21st October, 1994 in place of Shri S. P. Rolta, HAS, Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Mandi.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above officer shall be entitled to draw TA and DA as admissible under the rules.

428-राजपत्र/94—26-10-94—1,233. (3885) मूल्य: 1 रुपया।

3. The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973, is also pleased to appoint the aforesaid officer to be the Executive Magistrate with all the powers of an Executive Magistrate under the said Code, to be exercised within the local limits of Kullu Tehsil *w. e. f.* 14th October, 1994 to 21st October, 1994 subject to the conditions contained in the Himachal Pradesh Government Home Department letter No. Home-B (B) (12)-5/84, dated 4-12-1984 and 28-12-1994.

By order,
Sd/-
*Commissioner-cum-Secretary.*

---

सामान्य प्रशासन विभाग
(एफ-शाखा)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 9 जून, 1994

संख्या सा० प्र० वि० (एफ०) 1 (ए) 4-2/90-I.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 13-5-1994 के क्रम को जारी रखते हुए स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अधीन गठित उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को दैनिक/यात्रा भत्ता संलग्न अनुबन्ध के अनुसार देय होगा।

2. यह खर्चा मुख्य शीर्ष 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—200 अन्य स्कीमें, 06—हिमाचल प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण निधि से किया जायेगा (गैर-योजना)।

3. संयुक्त सचिव/उप-सचिव/अवर सचिव (सामान्य प्रशासन) इस उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के दैनिक/यात्रा भत्ता भुगतान के लिए नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामान्य प्रशासन एफ-शाखा में बनाये जायेंगे।

4. इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या 531-वित्त(सी०)ए० (9) 1/89 दिनांक 23-5-1994 द्वारा प्राप्त कर रखी है।

---

अनुबन्ध

(1) यात्रा भत्ता :

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गैर-सरकारी सदस्य को प्रथम श्रेणी के [illegible] के समान माना जाएगा और वस्तुतः प्रयोग की गई [illegible] वातानुकूलित [illegible] वास्तविक यात्रा भाड़े का हकदार होगा।

(ख) सड़क द्वारा यात्रा :

यात्रा की दशा में सड़क मील दूरी, जिसका रेल के साथ सम्बन्ध न हो, के बीच में, गैर-सरकारी सदस्य निम्न सड़क मील दूरी के हकदार होंगे :—

(i) यदि यात्रा वास्तविक भाड़ा स्वीकार की गई हो।
जैसे लो0 प0 बस द्वारा एकल सीट/स्थान

| | | |
|---|---|---|
| (ii) मोटर साईकल/स्कूटर द्वारा यात्रा की दशा में | (क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए। | 80 पैसे प्रति कि0 मी0 |
| | (ख) समतल क्षेत्र के लिए। | 60 पैसे प्रति कि0 मी0 |
| (iii) पूरी टैक्सी या अपनी कार द्वारा यात्रा की दशा में | (क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए | 2.50 पैसे प्रति कि0 मी0 |
| | (ख) समतल क्षेत्र के लिए। | 2.00 रु0 प्रति कि0 मी0 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हें निवास से प्रारम्भ होने वाले स्थाई निवास स्थान से उनकी कुल अनुपस्थिति के लिए और स्थाई निवास स्थान पर रहने की अवधि के साथ सरकारी कर्मचारी को लागू निबन्धन और शर्तों और निम्न पैरा 5 की शर्तों के अध्यधीन दैनिक भत्ता मिलेगा।

(2) दैनिक भत्ते :

(अ) गैर-सरकारी सदस्य बैठक के प्रत्येक दिन के लिए अपने-अपने परिक्षेत्र और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के अध्यधीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा।

(ब) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य दौरे पर और निम्न बोर्ड/समिति के कार्यों से सम्बन्ध बाहरी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हकदार भी होगा :—

| | |
|---|---|
| (क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो | — |
| (ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक परन्तु 12 घण्टे से अधिक न हो। | 70 प्रतिशत |
| (ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है | पूर्ण |

(3)-(अ) प्रवहण भत्ता :

गैर-सरकारी सदस्य जो उस स्थान, जहां बोर्ड/समिति की बैठक धारित हुई है का निवासी हो, को यहां आवासित स्थान पर यात्रा और दैनिक भत्ता जो अधिकतम 10 रुपये प्रति दिन हो लेने का हकदार नहीं होगा। इससे पहले कि भत्ता वस्तुतः संदत्त किया जाये। नियन्त्रक अधिकारी (Controling ollicer) दावे को सत्यापित करेगा और ऐसा करेगा जिससे आवश्यक रूप से अभिप्राप्त करके कि वास्तविक व्यय दावे की राशि से कम नहीं भी माना

समाधान करेगा। यदि इस ब्यौरे से उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेक पर प्रवहण भत्ते को सड़क मील दूरी तक सीमित कर सकेगा। यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मील दूरी भत्ता अनुज्ञेय दर से अधिकतम 10/- रुपये प्रति दिन के अनुसार दिया जायेगा।

(4) सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उसके द्वारा इस भाव का प्रमाण-पत्र पेश करने पर दिया जायेगा कि उसने उसी यात्रा के लिए सरकार के किसी अन्य स्रोत से यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(5) गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक से सम्बन्ध की गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थाई निवास स्थान जो पहले से ही नामित किया गया हो यात्रा भत्ते का पात्र होगा। यदि कोई सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए अपने स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर यात्रा करे या बैठक समाप्त होने के पश्चात उसके स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान जिसकी दूरी कम है को वापिस आता है।

(6) गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाने में प्रतिसंन्दाय की दशा में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, में बोर्ड/समिति के काम से सम्बन्ध यात्रा की हो, समय-समय पर संशोधित विधान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय के वेतन और भत्तों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(8) सदस्य उनके समनुदेशन से सम्बन्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिस पर सदस्य सत्र में सेवारत है जैसे विधान सभा सदस्य के वेतन और भत्ते अधिनियम के अधीन वह अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हालांकि यदि वह प्रमाणित करे कि उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति को हाजिर होने में निवारित किया गया हो और विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वह विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(9) सदस्य जिसे विधान सभा से अनर्हित किया गया हो प्रवहण भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा।

हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव।

---

(अनुभाग-क)

शिमला-2, 11 अक्तूबर, 1994.

संख्या जी ए० डी० ए(बी) 8-2/93.—इस विभाग की समसंख्या अधिसूचना, दिनांक 10-9-94 के पैरा 3.11 के क्रम में शिमला नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, निदेशालय, बोर्ड/निगम तथा शिक्षा संस्थाओं में दो निम्नलिखित स्थानीय अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है:—

1. महा नवमी 12 अक्तूबर, 1994 बुधवार
2. भैया दूज 5 नवम्बर, 1994 शनिवार

आदेशानुसार,

आर० के० आनन्द,
मुख्य सचिव।

## भाषा एवं संस्कृति विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 7 सितम्बर, 1994

संख्या भाषा-सी (10)-8/92.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्राचीन बौद्ध मठ ताबो गोम्पा को वर्ष 1996 में 1000वीं वर्षगांठ मनाई जानी है जिसके मनाने एवं उचित पग उठाने हेतु उच्च स्तरीय संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) के गठन को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । जिसमें निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जाते हैं :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य मन्त्री | अध्यक्ष |
| 2. | शिक्षा मन्त्री | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रभारी मन्त्री पर्यटन | सदस्य |
| 4. | स्थानीय विधायक (श्री फुन्चौग राय) | ,, |
| 5. | श्री मकुन्द लांगयाल, अध्यक्ष बजार समिति, काजा | ,, |
| 6. | श्री भगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत, ताबो | ,, |
| 7. | श्री जांगमेद तन्जीन दोर्जे, मुख्य लामा पिन मोनिस्ट्री, स्पिति | ,, |
| 8. | मुख्य लामा धनखार मोनिस्ट्री, स्पिति | ,, |
| 9. | मुख्य लामा तंग्युत मोनिस्ट्री, काजा स्पिति । | ,, |
| 10. | लामा जोप्पा प्रभारी कालचकरा समेणी जिला लाहौल । | |
| 11. | श्री लोचन टूलकू, प्रधान लामा महायान बौद्ध विहार, का, झा0 काजा | ,, |
| 12. | श्री सरखोंग टूलकू, ताबो मोनिस्ट्री | ,, |
| 13. | प्राचार्य संस्कृत एवं भोटी पाठशाला, केलंग | ,, |
| 14. | श्री छेरिंग दोर्जे (पंडित बौद्ध दर्शन) सेवानिवृत्त ए0पी0 आर0 ओ0, केलंग | ,, |
| 15. | महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि | ,, |
| 16. | मुख्य सचिव | ,, |
| 17. | सचिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 18. | सचिव, जनजातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 19. | सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 20. | सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार | ,, |
| 21. | सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार | ,, |
| 22. | सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार | ,, |
| 23. | सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार | ,, |
| 24. | सचिव (लोक सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार | ,, |
| 25. | प्रबन्ध निदेशक, हि0 प्र0 तथा पथ परिवहन निगम हिमाचल प्रदेश । | ,, |
| 26. | प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम | ,, |
| 27. | जिलाधीश लाहौल, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 28. | जिलाधीश किन्नौर, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 29. | प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग | ,, |
| 30. | प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य | ,, |
| 31. | निदेशक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 32. | निदेशक लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 33. | निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 34. | निदेशक पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश | ,, |
| 35. | अतिरिक्त जिलाधीश काजा, हिमाचल प्रदेश | सदस्य-सचिव |

2. उक्त समिति पूह से तांदी को जाने वाली सड़क को पक्का करने, पर्यटकों को खाने-पीने तथा ठहरने की सुविधा प्रदान करने, विभिन्न समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में इस ऐतिहासिक पर्व पर विज्ञापन दिए जाने, ठहरने के लिए सराए धर्मशाला, विश्राम गृह के निर्माण करने, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था एवं तांदी गोम्पा पर विशेष साहित्य प्रकाशित किए जाने इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेगी।

3. गैर-सरकारी सदस्य, समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने हेतु सलग्नीत अनुबन्ध के अनुसार हकदार होंगे।

4. सरकारी सदस्यों को समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिकी भत्ता दिया जाएगा।

---

ANNEXURE

**T.A. and D.A. to Non Official Members of the Committee.**

(1) *Travelling allowance*:

(*i*) *Journey by Rail.*—They will be treated at per with Govt. servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled, *i. e.* accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(*ii*) *Journey By Road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per km. for plain areas and 80 paise per km. in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the Member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km. in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km. in the hills.

(*iii*) In addition to the actual fare of mileage as per item (*i*) and (*ii*) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers of the State Government.

(2) *Daily allowance*:

(*i*) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(*ii*) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under :

| | |
|---|---|
| (a) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours. | Nil |

| | |
|---|---|
| (b) If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours. | 70% |
| (c) If the absence from Headquarters exceed 12 hours. | Full |

3. *Conveyance allowance.*—Member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowonce on the scale indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10-00 per day. Before the claim is actually paid for, the controlling officer should varify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rate admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the committee, from and to the places of their permanent residence to attend the meeting of the committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meating. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting which ever is less.

5. *Members of the parliament.*—The members of the Parliament on the Advisory Committee in respect of journey performed by him by rail, road, air and steamer in connection with the work of Committee, shall be entitled to TA/DA on the same scale as is admissible to him under 'Salaries and Allowances of Members of Parliament' as amended from time to time.

6. *Members of Vidhan Sabha.*—The non-official members who are members of the Vidhan Sabha shall be entitled to IA/DA in respect of journeys performed in connection with the work of the Committee on the scale as the admissible to them under the Salaries and Allowances of Member of Lesislative Assembly.

7. The members will not be entitled to daily allowances in connection with their assignment when the Vidhan Sabha or the Vidhan Sabha Committee on which the members are serving is in session as they will be drawing their daily allowances under the Salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly (HP) Act, 1971, from the Vidhan Sabha. However, if they certify that they were prevented from attending the session of the House or the Vidhan Sabha Committee and did not draw any daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowances at the rates as prescribed:

Provided that claims on account of travelling, halting and incidental allowances of Members for attending the meetings of Committees appointed by the Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary Vidhan Sabha, for encashment.

8. The provision of rules 4.17 and 6.1. of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply *mutatis* in the case of overpayment made on account of travelling allowance to non-official members.

9. The member will also not draw T.A. and D.A. including connveyance allowance which will disqualify them from the Vidhan Sabha.

10. *Official Members* :

The official Members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

आदेश द्वारा,

विनोद लाल,
आयुक्त एवं सचिव।

---

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 1994

संख्या श्रम(ए)4-27/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अनुसूचित नियोजनों में अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी 24 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन या 720 रुपये से 780 रुपये प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दी जाए :—

1. कृषि ।
2. सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण और भवन क्रिया ।
3. पत्थर तुड़ाई या पत्थर क्रशिंग ।
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट ।
5. वन एवं काष्ठ क्रिया ।
6. दुकानें तथा वाणिज्य स्थापन ।
7. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद ।
8. इन्जिनियरिंग उद्योग ।
9. खाद्य एवं पेय ।
10. शाल बुनाई और गलीचा बनाना ।
11. कपड़ा एवं हौजरी उद्योग ।
12. कागज उत्पाद ।
13. ईंट भट्ठा उद्योग ।
14. लकड़ी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योग ।
15. चाय बागान ।
16. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया ।
17. मद्य निर्माण शालाओं शराब कारखानों और अन्य अनुसंगिक प्रचालनों जैसे बोतलें भरने ।
18. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पाद ।
19. आरा मशीनें ।
20. निजी शैक्षणिक संस्थान ।
21. कास्टिंग उद्योग ।
22. चमड़ा उद्योग ।
23. इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्रीज ।
24. होटल/रेस्तरां ।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित अनुसूचित नियोजनों के बारे में अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च-कुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर 8.33 प्रतिशत बढ़ा दी जाए, परन्तु यह 2 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं है ।

3. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि जो कर्मकार जनजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों

में कृषि, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण खानिकी तथा काष्ठ, पत्थर कर्शिंग और पत्थर तुड़ान के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कर्मचारों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 12/1-2 प्रतिशत की प्रस्तावित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अतिरिक्त और बढोतरी की जायेगी । जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत है, उन्हें पिछले वर्षों की तरह और 20 प्रतिशत की बढोतरी होगी और इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12/1-2 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जायेगी ।

4. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1947 का 5) की धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिनकी उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त प्रस्ताव पर कोई आक्षेप या सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को इसके राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीनों की अवधि के अवसान से पहले विचार के लिए भेंजे ।

5. प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें 1-10-94 से लागू होंगी ।

आदेश द्वारा,

एस० एस० सिद्धू,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

---

*[Authoritative english text of th's Department's notification No. Shram (A)4-27/93 dated 30-9-94, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].*

## LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 30th September,* 1994

**No. Shram (A)4-27/93.**—Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the Minimum rates of wages of un-skilled workers should be revised from Rs. 24 to Rs. 26 per day or Rs. 720 to Rs. 780 per month in respect of the under mentioned scheduled employments :—

1. Agriculture.
2. Construction or maintenance of roads and in building operation.
3. Stone breaking or in stone crushing.
4. Public Motor Transport.
5. Forestry and Timbering operation.
6. Shops and Commercial Establishments.
7. Chemical and Chemical Products.
8. Engineering Industries.
9. Food and Drinks.
10. Shawl Weaving and Carpet Making.
11. Textile and Hosiery Industries.
12. Paper products.
13. Brick Kiln Industries.
14. Wood based and Furniture Industries.
15. Tea Plantations.
16. Manufacturing Processing as defined in section 2 (k) of Factory Act, 1948.
17. Breweries D stilleries and other incidental operation like bottling.
18. Cement Factory and manufacturing of other cement products.

19. Saw Mills.
20. Private Educational Institutions.
21. Casting Industries.
22. Leather Industries.
23. Electronic Indusries.
24. Hotels/Restaurants.

2. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum rates of wages of semi-skilled, skilled and highly-skilled workers should be increased by 8.33% subject to the minimum of Rs. 2 per day in respect of the above mentioned scheduled employments.

3. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum wages of the workers working in the Tribal Areas and Backward areas engaged in the scheduled Employments of agriculture, construction and maintenance of roads, forestry and timbering, stone crushing and stone breaking should further be enhanced by 25% and 12½% respectively over and above the proposed revised minimum rates of wages. For workers working in the tunneling operation, the proposed increase in minimum wages will be further enhanced by 20% as in the past years, and in addition there will be an increase of 25% and 12½% in wages for Tribal and Backward areas respectively.

4. Now, therefore, in pursuance of section-5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish this proposal for the information of the persons likely to be affected thereby. Any objections/suggestions on the above proposal may be sent to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-1 for consideration before the expiry of 2 months from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

5. The proposed revised rates will be applicable w. e. f. 1-10-94.

By order,

S. S. SIDHU,
*Financial Commissioner-cum-Secretary.*

---

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 6 अक्तूबर, 1994

संख्या पब-ए(4)2/85-1.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मान देने के लिये वर्ष 1993 के लिये इस विभाग की अधिसूचना संख्या पब-ए(4)-2/85-1, दिनांक 2-5-1994 द्वारा गठित छानबीन समिति में श्री ओम थानवी, स्थानीय सम्पादक, जनसत्ता, चण्डीगढ़ के स्थान पर श्री विजय सहगल, सम्पादक, दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ को सदस्य मनोनीत करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

जे० पी० नेगी,
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English Text of this Government Notification Number Rev. 2E* (3) 17/93, *dated* 26-9-1994, *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India.*]

## REVENUE DEPARTMENT

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 26th September*, 1994

No. Rev. 2E (3) 17/93.—Whereas Shri Roop Singh Thakur, (Retired Judge of Himachal Pradesh High Court) has been appointed Arbitrator to give award within a period of 4 months *vide* notification of even number, dated 8/11-11-1993.

2. And whereas the said Arbitrator has not been able to give the award within the stipulated period.

3. Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (i) of section 9 of the Himachal Pradesh Requisition of Immovable Property Act, 1987, is pleased to extend the period for making the award upto 9th August, 1994.

By order,
P. T. WANGDI,
*Financial Commissioner-cum-Secretary*,

---

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 27 सितम्बर, 1994

संख्या आर0 डी0 डी0-1-ए(बी)(2)-2/94.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग में दिनांक 24-8-94 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री टेक चन्द शर्मा, अधीक्षक ग्रेड-II, कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी गोहर, जिला मण्डी को 2200—4000 के वेतनमान में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज निदेशालय में अधिक्षक ग्रेड-I (राजपत्रित श्रेणी-II) के पद पर स्थानापन्न (Officiating) रूप से पदोन्नत करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

यह पदोन्नति श्री निक्का राम, अधीक्षक ग्रेड-II के विरुद्ध सतर्कता विभाग में चल रहे मामले के अन्तिम निर्णय पर आधारित होगी।

इनकी परिवीक्षा अवधि इनके कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष होगी जिसे यथा स्थिति बढ़ाया जा सकता है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

---

शिमला-2, 7 अक्तूबर, 1994

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 31/90.—क्योंकि श्री रणदीप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीधिमान, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर के विरुद्ध पुलिस थाना रेणुकाजी में दिनांक 24-6-93

को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें आरोप है कि प्राथमिक पाठशाला कोटीधिमान के पुराने भवन को बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से गिरा कर उसका सामान खुर्द बुर्द कर दिया ;

और क्योंकि थाना अध्यक्ष, पुलिस थाना रेणुकाजी में मामले की मौका की छानबीन की और श्री रणदीप सिंह, प्रधान का जुर्म जेर धारा 3 (2) "ए" प्रीवेन्शन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी अधिनियम, 1984 का साबित होने पर गिरफ्तार किया गया जो बाद में बर जमानत मुचलका पर बाअदालत रिहा हुआ है और चालान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में प्रस्तुत किया गया है ;

और क्योंकि उपायुक्त सिरमौर से भी इस बारे रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि "प्रशासन जनता के द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पंचायत के दौरे के समय श्री रणदीप सिंह, प्रधान ने प्राथमिक पाठशाला के भवन के नव निर्माण हेतु राशि मांगी थी तथा वह पुराने भवन को गिरा कर नया भवन बनवाना चाहते थे । उन्हें राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था तथा उसे पुराने भवन को गिराने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने बारे कहा गया था ;

और क्योंकि श्री रणदीप सिंह ने श्री मित्र सिंह तोमर का नाम ग्राम पंचायत कोटीधिमान के परिवार रजिस्टर भाग 1 से काट दिया जिसके लिए वह सक्षम न थे ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन प्राप्त हैं, श्री रणदीप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीधीमान, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर, को आदेश देते हैं कि वह कारण बतायें कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्यों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-2 इस निदेशालय में पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव ।

## SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 23rd December, 1993*

No. STV(Env.) A (10)-3/93.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Project Level Environmental Management Committee in respect of Bhaba, Baner, Uhl Stage-II and Kol Dam Projects in Himachal Pradesh under the Chairmanship of the following with immediate effect :-

| Sl. No. 1 | Name of the Project 2 | Chairman 3 |
|---|---|---|
| 1. | Bhabha Project | Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project. |
| 2. | Baner Project | Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project. |
| 3. | Uhl Stage-II Project | Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project. |
| 4. | Kol Dam Project | Chief Engineer, H.P.S.E.B. Incharge of the Project. |

*Official Members of each Projects*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Conservator of Forests Concerned | ..*Member* |
| 2. | Geologist from the Department of Industries concerned | ..*Member* |
| 3. | Superintending Engineer (IPH) of area | ..*Member* |
| 4. | Director of Fisheries, Himachal Pradesh | ..*Member* |
| 5. | Deputy Director (Agriculture) in the area | ..*Member* |
| 6. | Rep. of Deputy Commissioner concerned | ..*Member* |
| 7. | Rep. of Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh | ..*Member* |
| 8. | Rep. of Himachal Pradesh State Pollution Control Board | ..*Member* |
| 9. | Superintending Engineer of the Project or the seniormost SEB Engineer. | ..*Member-Secretary.* |

2. The functions of the committee will include exercising check on cutting of forests and compensatory aforestation, prevention of soil erosion through proper arrangement of slopes; aquatic life and tourism promotion etc.

3. These Committees may meet at - short -suitable intervals at Project level Hqr. to review the progress made in implementations the safeguards by each Project authority.

4. The Official members of these committees will be entitle to TA/DA admissible under the normal rules applicable to them from their respective departments.

By order,

S. K. SOOD,
*Commissioner-cum-Secretary.*